



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 2016/भाद्र 4, 1938

No. 336]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 2016/BHADRA 4, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

फा. सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015 तारीख 28 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई हों, साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4 में—

(क) "किरणित खाद्य पर लेबल लगाना" से संबंधित उप विनियम 2.4.4 का लोप किया जाएगा ;

(ख) "अन्य उत्पाद पर विनिर्दिष्ट लेबल लगाने संबंधी अपेक्षाएं" से संबंधित उप-विनियम 2.4.5 को 2.4.4 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./221]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे :—

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(iv) सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;

(v) फा. सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव./एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016 और

(vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August , 2016

F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2016, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated the 28th April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Fourth Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4 -
(a) Sub-regulation 2.4.4 relating to “Labelling of Irradiated Food” shall be omitted;
(b) the Sub-regulation 2.4.5 relating to “Specific Labelling Requirements of other Products” shall be re-numbered as 2.4.4.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./221]

Note.— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:-

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F. No. P/15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;
- (iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- (v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016 and
- (vi) No. 3-14P/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2016

फा. सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. 1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 28 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) छठा संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में "खाद्य किरणन से संबंधित विनियम 2.13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"2.13 खाद्य की विकिरण प्रसंस्करण

2.13:1: विकिरणन की मात्रा -

(1) उपविनियम 2.13.1, के खंड (2) में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई भी खाद्य को विकिरण द्वारा प्रसंस्कृत नहीं होगा।

(2) नीचे दी गई सारणी 1 और सारणी 2 में विनिर्दिष्ट विकिरण प्रसंस्करण के लिए अनुज्ञात कोई भी खाद्य वस्तु विकिरण प्रसंस्करण के समय उक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक विकिरण की मात्रा प्राप्त नहीं करेगा।

सारणी 1: खाद्य उत्पादों की श्रेणी और विकिरण प्रक्रिया की मात्रा

श्रेणी	खाद्य वस्तु	प्रयोजन	मात्रा केजीवाई (किलो ग्रे)	
			न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5
श्रेणी 1	कंद, स्कंध और रूट ट्यूबर्स तथा राईज़ोम्स	अंकुरण रोकना	0.02	0.2
श्रेणी 2	ताज़े फल और सब्जी (श्रेणी 1 के अतिरिक्त)	देर से पकना	0.2	1.0
		विसंक्रमण	0.2	1.0
		शेल्फलाईफ विस्तार	1.0	2.5
		करनतीन अनुप्रयोग करना	0.1	1.0
श्रेणी 3	अन्न और उनके मील उत्पाद दलहन और उनके मील उत्पाद गिरीदार फल, तिलहन, सूखे फल और उनके उत्पाद	विसंक्रमण	0.25	1.0
		माईक्रोबिअल भार को घटाना	1.5	5.0
श्रेणी 4	मत्स्य जलकृषि, समुद्री खाद्य और उनके उत्पाद (ताज़े और प्रशितित) और क्रस्टेशियंस	पैथोजिनिक माईक्रोब्स को हटाना	1.0	7.0
		शेल्फ लाईफ का विस्तार	1.0	3.0
		मानव पैरासाईट्स का नियंत्रण	0.3	2.0
श्रेणी 5	मांस और मांस उत्पाद जिसमें कुक्कुट (ताज़े और प्रशितित) और अंडे सम्मिलित है	पैथोजिनिक माईक्रोब्स को हटाना	1.0	7.0
		शेल्फ लाईफ का विस्तार	1.0	3.0
		मानव पैरासाईट्स का नियंत्रण	0.3	2.0
श्रेणी 6	सूखी सब्जियां, सीज़निंग मसाले, खड़ा मसाला, सूखी जड़ीबूटी और उनके उत्पाद, चाय कॉफी, कोको और पौध उत्पाद	माईक्रोबियल विसंदूषण	6.0	14.0
		विसंक्रमण	0.3	1.0
श्रेणी 7	पशु से उत्पन्न सूखे खाद्य और उनके उत्पाद	विसंक्रमण	0.3	1.0
		मोल्ड्स का नियंत्रण	1.0	3.0
		पैथोजिनिक माईक्रोब्स को हटाना	2.0	7.0
श्रेणी 8	पारंपरिक खाद्य, सेना राशन, अंतरिक्ष खाद्य, खाने	करनतीन अनुप्रयोग करना	0.25	1.0
		माईक्रोबिअल भार को घटाना	2.0	10.0

के लिए तैयार, पकाने के लिए तैयार/न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य			
	निष्कीटन	5.0	25.0

सारणी : 2 सहबद्ध उत्पादों के विकिरण प्रसंस्करण मात्रा की सीमाएं

क्रम सं.	सहबद्ध उत्पाद	प्रयोजन	मात्रा केजीवाई (किलो ग्रे)	
			न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5
1.	खाद्य और उनके सहबद्ध उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री	माईक्रोबियल विसंदूषण	5.0	10.0
		निष्कीटन	10.0	25.0
2.	खाद्य योजक	विसंक्रमण	0.25	1.0
		माईक्रोबियल विसंदूषण	5.0	10.0
		निष्कीटन	10.0	25.0
3.	स्वास्थ्य खाद्य आहार संपूरक और न्यूट्रास्यूटीकल्स	विसंक्रमण	0.25	1.0
		माईक्रोबियल विसंदूषण	5.0	10.0
		निष्कीटन	10.0	25.0

(3) नेमी मात्रात्मक मापमान प्रचालन के दौरान किया जाएगा ओर ऐसे मापमान का अभिलेख वैसे ही रखा जाएगा जैसा कि परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन उपबंधित है।

2.13.2 : विकिरण प्रसंस्करण के लिए अपेक्षा :

(1) सुविधाओं का अनुमोदन—किसी भी विकिरण सुविधा का खाद्य के अभिक्रियान्वयन के लिए तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सुविधा --

- (i) परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन अनुमोदित और अनुज्ञापित न हों।
- (ii) परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन अनुमोदन, प्रचालन, अनुज्ञप्ति और प्रक्रिया नियंत्रण के लिए विहित शर्तों का अनुपालन न करती हो।
- (iii) परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार किरणन न करती हो।

(2) कोई खाद्य/किरणित खाद्य किरणन प्रसुविधा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के उपबंधों के अनुसार किरणित न किया हो और किरणन का एक प्रमाणपत्र, किरणन के मात्रा तथा किरणन के प्रयोजन को उपदर्शित करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध न करा दिया गया हो।

2.13.3: खाद्य विकिरण प्रसंस्करण पर निर्बंधन :

- (1) परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन विकिरण प्रसंस्करण द्वारा अभिक्रियान्वयन के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य की प्रत्येक किस्म या प्रवर्ग के लिए विहित विनिर्दिष्ट शर्तों की मात्रा, सीमा और किरणन स्रोत के अनुरूप होगा।
- (2) ऐसे खाद्य की जिसका विकिरणन प्रक्रिया द्वारा प्रसंस्करण किया गया हो, पहचान इस प्रकार की जाएगी जिससे कि उसे पुनःकिरणन से रोका जा सके।
- (3) विकिरण प्रसंस्करण ऐसे कर्मियों द्वारा किया जाएगा जो परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन उस प्रयोजन के लिए यथाविहित न्यूनतम अर्हताओं और प्रशिक्षण प्राप्त हैं।
- (4) एक बार किरणित खाद्य को तब तक पुनःकिरणित नहीं किया जाएगा जब तक इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट रूप इस प्रकार अनुज्ञात न हो।

2.13.4 : खाद्य की विकिरण प्रसंस्करण का अभिलेख :

विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य के किसी उपचार को परमाणु ऊर्जा (खाद्य और सहबद्ध उत्पादों की विकिरण प्रक्रिया) नियम, 2012 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सुविधा द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

2.13.5 : विकिरणित प्रसंस्कृत खाद्य के मानक :

खाद्य के विकिरणन प्रसंस्करण में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के सभी उपबंधों का, जिसमें ऐसे खाद्य के मानक विनिर्दिष्ट हैं अनुपालन किया जाएगा।

2.13.6 : विकिरणित खाद्य का भंडारण :

इन विनियमों में यथाउपबंधित के सिवाए कोई व्यक्ति विक्रय के लिए किरणन, विक्रय के लिए भंडारण या किरणित खाद्य के विक्रय के लिए परिवहन नहीं करेगा।

2.13.7 : विकिरणित खाद्य के विक्रय पर निर्बंधन :

विकिरणित प्रसंस्कृत खाद्य की केवल पैकेज पूर्व शर्तों के अनुसार ही विक्रय के लिए प्रस्थापना की जाएगी।

2.13.8 : विकिरणित खाद्य वस्तु की लैबलिंग :

- (1) खाद्य, जिसे आयनित विकिरण से उपचारित किया गया है, के लेबल पर खाद्य के नाम के निकट उपचार को दर्शाने वाला लिखित विवरण होगा।
- (2) विकिरणित खाद्य के सभी पैकेटों पर हले रंग का राडुरो चिह्न और निम्नलिखित कथन होगा, अर्थात् :--

विकिरण द्वारा प्रसंस्कृत



उत्पाद का नाम :

विकिरण प्रसंस्करण का प्रयोजन

प्रचालन अनुज्ञप्ति सं. :

बैच पहचान सं. (बिन) (प्रसुविधा द्वारा यथा उपलब्ध :

प्रसंस्करण की तारीख"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./221]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चावर्ती निम्न अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए :

- (i) एफ. सं. 4-15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) एफ. सं. पी.15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) एफ. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) एफ. सं. पी.15025/262/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) एफ. सं. 1-83 एफ/एससीआई. पैन-अधि./एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) एफ. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) एफ. सं. पी.15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (viii) एफ. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (ix) एफ. सं. 7/15015/30/2012, तारीख 13 नवंबर, 2015;
- (x) एफ. सं. पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015;
- (xi) एफ. सं. पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवंबर, 2015;
- (xii) एफ.सं. 1-10(1)/स्टैंडर्ड/एसपी (मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद)/एसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- (xiii) सं. 3-16/विशिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य योजक)/एफएसएसएआई-2014 तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) एफ. सं. 15-03/एन्फ/ एफएसएसएआई/2014, तारीख 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं. 3-14एफ/अधिसूचना (न्यूट्रिस्टिक्ल्स)/एफएसएसएआई—2013, तारीख 13 जुलाई, 2016 और
- (xvi) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.—2015, तारीख 15 जुलाई, 2016 ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2016

F. No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015.—Whereas the draft Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No.1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated the 28th April, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th May, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, for regulation 2.13 relating to “Irradiation of Food”, the following regulation shall be substituted, namely:

“2.13 RADIATION PROCESSING OF FOOD**2.13.1: Dose of Radiation -**

- (1) Save as provided in clause (2) of sub-regulation 2.13.1, no food shall be processed by radiation.
- (2) No article of food permitted for radiation processing specified in the Table 1 and Table 2 given below shall receive the dose of radiation in excess of the quantity specified in the said Tables at the time of radiation processing -

Table 1: Classes of Food Products and Dose Limits for Radiation Processing

Class	Food	Purpose	Dose Limit kGy (kilo Gray)	
			Minimum	Maximum
1	2	3	4	5
Class 1	Bulbs, stem and root tubers and rhizomes	Inhibit sprouting	0.02	0.2
Class 2	Fresh fruits and vegetables (other than Class 1)	Delay ripening	0.2	1.0
		Insect disinfestation	0.2	1.0
		Shelf -life extension	1.0	2.5
		Quarantine application	0.1	1.0
Class 3	Cereals and their milled products, pulses and their milled products, nuts, oil seeds, dried fruits and their products	Insect disinfestation	0.25	1.0
		Reduction of microbial load	1.5	5.0
Class 4	Fish, aquaculture, seafood and their products (fresh or frozen) and crustaceans	Elimination of pathogenic micro organisms	1.0	7.0
		Shelf -life extension	1.0	3.0
		Control of human parasites	0.3	2.0
Class 5	Meat and meat products including poultry (fresh and frozen) and eggs	Elimination of pathogenic microorganisms	1.0	7.0
		Shelf -life extension	1.0	3.0
		Control of human parasites	0.3	2.0
Class 6	Dry vegetables, seasonings, spices, condiments, dry herbs and their products, tea, coffee, cocoa and plant products	Microbial decontamination	6.0	14.0
		Insect disinfestation	0.3	1.0
Class 7	Dried foods of animal origin and their products	Insect disinfestation	0.3	1.0
		Control of moulds	1.0	3.0
		Elimination of pathogenic micro organisms	2.0	7.0
Class 8	Ethnic foods, military rations, space foods, ready-to-eat, ready-to-cook/minimally processed foods.	Quarantine application	0.25	1.0
		Reduction of microbial load	2.0	10.0
		Sterilization	5.0	25.0

Table 2: Dose Limits for Radiation Processing of Allied Products

Sl. No.	Allied Product	Purpose	Dose Limit kGy (kiloGray)	
			Minimum	Maximum
1	2	3	4	5
1.	Packaging materials for food or allied products	Microbial decontamination	5.0	10.0
		Sterilization	10.0	25.0
2.	Food additives	Insect disinfestation	0.25	1.0
		Microbial decontamination	5.0	10.0
		Sterilization	10.0	25.0
3.	Health foods, dietary supplements and nutraceuticals	Insect disinfestation	0.25	1.0
		Microbial decontamination	5.0	10.0
		Sterilization	10.0	25.0

(3) Routine quantitative dosimetry shall be carried out during operation and record kept of such measurements as provided under Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

2.13.2: Requirement for Radiation Processing:

(1) Approval of facilities - No irradiation facility shall be used for the treatment of food unless such facility -

(i) has been approved and licensed under the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

(ii) complies with the conditions for approval, operation, license and process control prescribed under the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

(iii) carries out irradiation in accordance with the provisions of the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

(2) No food or irradiated food shall leave the irradiation facility unless it has been irradiated in accordance with the provisions of Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012 and a certificate of irradiation indicating the dose of irradiation and the purpose of irradiation is provided by the facility.

2.13.3: Restrictions on Radiation Processing of Food -

(1) The radiation processing shall conform to the dose limit, the radiation source, and the conditions specified for each type or category of food for processing by radiation, under the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

(2) The food which has been processed by radiation shall be identified in such a way so as to prevent its being subjected to re-irradiation.

(3) The radiation processing shall be carried out by personnel having the minimum qualifications and training as prescribed for the purpose under the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

(4) The food once irradiated shall not be re-irradiated unless specifically so permitted under these regulations.

2.13.4: Record of Radiation Processing of Food -

Any treatment of food by radiation shall be recorded by facility as specified under the Atomic Energy (Radiation Processing of Food and Allied Products) Rules, 2012.

2.13.5: Standards of Radiation Processed Food -

The Radiation processed food shall comply with all the provisions of the Food Safety and Standards Act and the Regulations made thereunder specifying standards of such food.

2.13.6: Storage and Sale of Radiation Processed Food -

Save as otherwise provided in these regulations, no person shall irradiate for sale, store for sale, or transport for sale irradiated food.

2.13.7: Restriction on Sale of Radiation Processed Food -

The Radiation processed food shall be offered for sale only in pre-packaged conditions.

2.13.8: Labelling of Radiation Processed Food -

(1) The label of a food, which has been treated with ionizing radiation, shall carry a written statement indicating the treatment in close proximity to the name of the food.

(2) All packages of radiation processed food shall bear the Radura logo in green colour and following declaration, namely:—

PROCESSED BY RADIATION



Name of the Product:

Purpose of Radiation Processing:

Operating License No. :

Batch Identification No. (BIN) (as provided by facility):

Date of Processing.....”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./221]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide the following notification numbers:-

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
- (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
- (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015;
- (xi) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015 ;
- (xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 11th January, 2016;
- (xiii) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014, dated the 3rd May, 2016 ;
- (xiv) F. No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, dated 14th June, 2016;
- (xv) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals) /FSSAI-2013, dated 13th July, 2016 and
- (xvi) F. No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016.